

न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर

रागखिलाड़ी

बनाम

रामदेई वगै०

किरम प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं०.२५८/२०२३

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनेशियल जज	नम्वर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20.06.2023	<p>यह प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा प्रार्थी की ओर से श्री सतीश चंद शर्मा एडवोकेट ने हगारे समक्ष पेश किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अरथाई निषेधाज्ञा के विन्दु पर वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने के कारण अप्रार्थीगण को अंतरिम अरथाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे भूमि खसरा नं० 609 रकबा 0.06 है० बाके ग्राम खेड़ला तहसील वजीरपुर में आगामी तारीख पेशी तक सायल के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें न ही अन्य किसी दीगर व्यक्ति से करावें। अप्रार्थीगण को जरिये रजि० नोटिस से तलब किया जावे जिसका खर्चा प्रार्थी द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली दिनांक 13.07.2023 को पेश हो।</p> <p align="right">५९</p> <p>पत्रावली पेश हुई/कंपन/वादी/प्रतिवादी/ अपीलाधी/रिप्लान्ट/प्रा.प./अपार्थी/समयपक्ष उपरिथत है/अनुपरिथत है। मोमान् पीवसीन अधिजारी समय पर है/अपक्ष पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/को स्थगित कर ले गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक... 25/07/23 को पेश हो।</p> <p align="right">शुभ</p> <p>21.07.23 तारीख प्रा.प. के मिसल तलबी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। मिसल तलबी के प्रार्थना पत्र के आधार पर पत्रावली आप पेश हुई। अपार्थीगण से। त 5 स्वयं उपर तारीख प्रा.प. के उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा नोट बयस में खारिज किया जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा नोट बयस में इसी स्टेप पर खारिज किया जाता है। पत्रावली केसल शुगर क्रोकर नंबर से क्रम से व बाद तारीख 01/08/23 को पेश हो।</p>	<p>नम्वर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>

13/7/23

सहायक न्यायाधीश
सपनी
शुनीता

Not press

18/07/23
रामदेई
अद्वैत
शुनीता

५९
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

16/07/23